छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई, 2009

(श्रावण - 2, शक संवत् 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 03 एवं 05 से 11 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 4 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री देवजी पटेल अनुपस्थित रहे। प्रश्न संख्या 6 पर श्री लखमा कवासी, सदस्य की अनुपस्थिति में श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य अधिकृत थे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 1 तारांकित प्रश्न एवं 21 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 06 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. औचित्य का प्रश्न तथा व्यवस्था

प्रश्नकाल समाप्त होते ही नेता प्रतिपक्ष श्री रविन्द्र चौबे ने सदस्यों द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर उनकी अनुपस्थिति में चर्चा कराये जाने संबंधी कार्यवाही को लेकर व्यवस्था का प्रश्न उठाया।

श्री धर्मजीत सिंह, श्री नंदकुमार पटेल, श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी तथा श्री ताम्रध्वज साहू द्वारा भी आसंदी का ध्यान नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठाए बिंदु की ओर आकृष्ट करते हुए आसंदी से व्यवस्था देने का अनुरोध किया गया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा, प्रतिपक्ष द्वारा उठाए औचित्य के प्रश्न पर अपना मत व्यक्त किया गया।

सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था दी गई कि -

4. अध्यक्षीय व्यवस्था

मदनवाड़ा की नक्सली घटना के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना मेरे पास सत्र प्रारंभ होने के प्रथम दिवस अर्थात् 20 जुलाई, 2009 को प्राप्त हो गयी थी और स्थगन प्रस्ताव के महत्व को देखते हुए उस पर उसी दिन नियमों के अंतर्गत लिया जाना था किंतु प्रतिपक्ष के द्वारा सूचना दिये जाने के बावजूद सभा में उसे लेने के संबंध में नकारात्मक रूख अपनाया गया। निरंतर व्यवधान के कारण प्रस्ताव को सभा में नहीं लिया जा सका । ऐसी ही स्थिति दूसरे दिन भी रही । सत्ता पक्ष के द्वारा स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य कर चर्चा कराने की सहमति के बावजूद प्रतिपक्ष निरंतर शोरगुल करते रहे।

कल दिनांक 23 जुलाई, 2009 को भी प्रतिपक्ष के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । स्थगन प्रस्ताव मेरे पास में विचाराधीन था । प्रश्नकाल के पश्चात् जब मैं उसे ले रहा था तभी प्रतिपक्ष के सदस्य यह जानते हुये कि वे सभा के गर्भगृह में आयेंगे तो स्वयं निलम्बित हो जायेंगे लेकिन वे जानबूझकर गर्भगृह में आयें और निलम्बित हुये । स्थगन प्रस्ताव पर मुझे निर्णय लेना था, अतः स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सम्पूर्ण तथ्य शासन के वक्तव्य के माध्यम से मेरे समक्ष आयें और मैं उस पर निर्णय ले सकूं । इस उद्देश्य से मैंने प्रक्रिया कार्य संचालन नियमों के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर सम्मति देने या इंकार करने के पूर्व प्रस्ताव की सूचना को सभा में पढ़ा और माननीय मंत्री जी का वक्तव्य सुना । प्रतिपक्ष के उपस्थित सदस्यों के द्वारा इस अनुरोध पर कि वे भी इस पर कुछ तथ्य रखना चाहते हैं । मैं स्थगन प्रस्ताव पर सम्मति दूं या इंकार कर दूं मेरी अनुमति से उन्होंने भी तथ्य रखें और पश्चात् तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मैंने स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया ।

स्थगन प्रस्ताव को सभा में लेने की अनुमति दी ही नहीं थी, जब सभा में चर्चा हुई ही नहीं तो फिर यह कहना कि प्रतिपक्ष के सदस्यों की अनुपस्थिति में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करायी गयी तथ्यों से अलग स्थिति है। इसके बावजूद मैंने शासन के वक्तव्य के तत्काल पश्चात् पतिपक्ष दल के माननीय सदस्यों का निलम्बन समाप्त कर उनसे सभा में आकर इस स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया था ताकि मैं निर्णय कर सकूं, किंतु वे सभा में नहीं आये । इसके पश्चात् भी मेरे दो बार अनुरोध करने के बावजूद प्रतिपक्ष के सदस्य सभा में नहीं आये ।

स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत कर कार्यवाही में तीन दिनों तक व्यवधान कर कार्यवाही बाधित करना, आसंदी को स्थगन प्रस्ताव लेने में अवरोध उत्पन्न करना और फिर लिये जाने पर सभा की कार्यवाही से जान-बूझकर स्वमेव निलम्बित होना और निलम्बन समाप्ति के बावजूद सभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेना, का प्रश्न मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के विचार के लिये छोड़ता हूं कि इस नवगठित राज्य में वे कैसी संसदीय परम्पराओं को स्थापित करना चाहते हैं । अतः मुझे कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है ।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने-

(1) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2008-2009 के बजट की अंतिम तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा,

(2) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007 एवं 2008,

(3) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008),

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने-

(4) वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2003-2004,

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने-

(5) पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2007-2008,

(6) छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन 2007-08 (1 जुलाई, 2007 से 30 जून,2088) एवं

(7) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 के अधीन बनाये गये छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 के नियम 22 एवं नियम 23 के उप नियम (घ) की अपेक्षानुसार निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा संपरीक्षा वित्तीय वर्ष 2007-08,

पटल पर रखे।

6. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि-अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत कार्यसूची में 20 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को शामिल किया गया है। क्रमांक (1) से (4) तक की सूचनाएं सदन में पढ़ी जावेंगी जिनका उत्तर माननीय मंत्री देंगे। शेष सूचनाओं में उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर विभागीय मंत्री का उत्तर पढ़े हुए माने जाएंगे।

(1) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने जिला बिलासपुर में आर.इन्टरप्राईजेस द्वारा सिम्स से मिली भगत कर नारकोटिक एक्ट के अंतर्गत प्रतिबंधित दवाईयों का व्यापार किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री सिद्धनाथ पैकरा, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने साजा विधान सभा क्षेत्र में किसानों को विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री रामजी भारती, सदस्य ने जिला राजनांदगांव, विकासखंड खैरागढ़ एवं छुईखदान में रोजगार गारंटी योजना का कार्य समय पूर्व बंद किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री भईयालाल राजवाड़े, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री गुरु रूद्रकुमार, सदस्य ने नई राजधानी क्षेत्र के प्रभावित क्षेत्र के प्रभावित किसानों को अत्यंत कम मुआवजा दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री सिद्धनाथ पैकरा, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने गए :-

उप पद क्रमांक	सदस्य
(5)	श्री देवजी पटेल, श्री धर्मजीत सिंह
(6)	श्री नंदकुमार पटेल, श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी, श्री गुरु रूद्रकुमार
(7)	श्री नंदकुमार पटेल

(8) श्री देवजी पटेल, श्री धर्मजीत सिंह

(9) श्री देवजी पटेल, श्री धर्मजीत सिंह

(10) श्री धर्मजीत सिंह

(11) श्री नंदकुमार पटेल, डॉ.शक्राजीत नायक

(12) श्री सौरभ सिंह

(13) श्री नंदकुमार पटेल, डॉ.शक्राजीत नायक, महंत रामसुंदर दास

(14) श्री सौरभ सिंह

(15) श्री नंदकुमार पटेल, डॉ.शक्राजीत नायक

(16) श्री ताम्रध्वज साहू, श्री राजकमल सिंघानिया

(17) डॉ.शक्राजीत नायक, श्री नंदकुमार पटेल

(18) डॉ.शक्राजीत नायक

(19) श्री नंदकुमार पटेल, डॉ.शक्राजीत नायक

(20) श्री राजू सिंह ठाकुर

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की अनुमति से कार्यसूची के पद क्रमांक 5 के कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

7. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री परेश बागबाहरा

(2) महंत रामसुंदर दास

(3) श्री सौरभ सिंह

(4) श्री नंदकुमार पटेल

(5) श्री धर्मजीत सिंह

(6) श्री गुरु रूद्रकुमार

(7) डॉ.शक्राजीत नायक

(8) श्री दूजराम बौद्ध

(9) श्री मोहम्मद अकबर

(10) डॉ.हरिदास भारद्वाज

(11) श्री रामजी राम

(12) डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री लेखराम साहू

(2) श्री राजू सिंह ठाकुर

(3) श्री नारायण चंदेल

(4) श्री धर्मजीत सिंह

(5) श्री सौरभ सिंह

(6) श्री देवजी पटेल

(7) श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम

(8) श्री दूजराम बौद्ध

(9) श्री राजकमल सिंघानिया

(10) श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर

(11) श्री बोधराम कंवर

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 7 सन् 2009)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 7 सन् 2009) पुर:स्थापित किया ।

(1.34 से 3.00 बजे तक का अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए ।)

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 5 सन् 2009)

श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 5 सन् 2009) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से विधेयक को इसकी महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए आज ही विचार एवं पारण के लिए सम्मिलित किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री संतोष बाफना।

श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 5 सन् 2009) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(2) छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 6 सन् 2009)

श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 6 सन् 2009) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री दीपक पटेल।

श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 6 सन् 2009) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(3) छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 7 सन् 2009)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 7 सन् 2009) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, श्री रविन्द्र चौबे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 7 सन् 2009) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

11. प्राक्कलन समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्राक्कलन समिति में रिक्त हुए स्थान पर डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी के निर्वाचन की घोषणा की गई।

12. अशासकीय संकल्प

(1) राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना छत्तीसगढ़ प्रदेश में की जाना

श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा अपने विचार व्यक्त किए ।

संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री धर्मजीत सिंह, डॉ.सुभाऊ कश्यप, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्री मोहम्मद अकबर, श्री रविन्द्र चौबे, श्री दूजराम बौद्ध।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

संकल्प पर मत लिया गया ।

संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ ।

(2) प्रदेश में स्पंज आयरन उद्योगों में निरीक्षण के दौरान प्रदूषण निवारण यंत्र (ई.एस.पी.) बंद पाए जाने पर उद्योग को लाइसेंस 01 वर्ष तक के लिए निलंबित किया जाना

श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा अपने विचार व्यक्त किए ।

संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री देवजी पटेल, श्री धर्मजीत सिंह, श्री कुलदीप सिंह जुनेजा, डॉ.शक्राजीत नायक, श्री राजू सिंह ठाकुर, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री सौरभ सिंह।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए ।)

श्री राजेण मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा माननीय सदस्य से संकल्प वापस लेने का अनुरोध किया।

माननीय सदस्यों द्वारा मत विभाजन की मांग की गई।

संकल्प पर मत विभाजन हुआ।

प्रस्ताव के पक्ष में 24 और विपक्ष में 36 मत प्राप्त हुए।

संकल्प अस्वीकृत हुआ ।

(3) हावड़ा-कोलकाता से कोरापुट तक चलने वाली एक्सप्रेस तथा भुनेश्वर से कोरापुट तक चलने वाली हीराकुण्ड एक्सप्रेस को क्रमशः हावड़ा से जगदलपुर तथा भुनेश्वर से जगदलपुर तक चलाया जाना

श्री देवजी पटेल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा अपने विचार व्यक्त किए ।

संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री गुरुमुख सिंह होरा, श्री संषोष बाफना, श्री लखमा कवासी, डॉ.सुभाऊ कश्यप, श्री टी.एस.सिंहदेव।

श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

संकल्प पर मत लिया गया ।

संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ ।

सायं 6.03 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 27 जुलाई, 2009 (श्रावण 5, शक संवत् 1931) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा